न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 527/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
सुरजाराम पुत्र हमीरराम जाति विश्नोई निवासी बिष्णु की ढाणी, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1– मीरराम पुत्र धोकलराम 2– थानाराम पुत्र धोकलराम 3– हरलाल पुत्र धोकलराम 4– रतनाराम पुत्र धोकलराम 5– मीरा पत्नी धोकलराम (फौत) (नाम विलोपित आदेश दिनांक 23–10–2013 से) 6– राणाराम पुत्र भीखाराम 7– भगाराम पुत्र भीखाराम 8– बाबूलाल पुत्र भीखाराम 9– महीराम पुत्र भीखाराम सभी जातियान विश्नोई निवासी विष्णु की ढाणी, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 10–बाबूलाल पुत्र हमीरराम जाति विश्नोई निवासी विष्णु की ढाणी, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर 11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 8–1–2013 जो राजस्व अपील संख्या 44/2008 अनवान मीरराम बनाम सरकार मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर, तृतीय जोधपुर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 7 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 11 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 22–11–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 9 ने अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार बिलाडा द्वारा खसरा नंबर 120 ग्राम मौजा विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा की तरमीम के संबंध मे पारित

किये गये आदेश दिनांक 10–6–2008 के विरूद्ध इस आशय की पेश की कि तहसीलदार बिलाडा ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये मनमर्जी से तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–1–2013 के द्वारा अपीलांट की अपील को स्वीकार कर तहसीलदार बिलाडा के आदेश दिनांक 10–6–2008 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सम्पूर्ण खसरा नंबर 120 के खातेदारो की हिस्सा अनुसार नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही करे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मयाद बाहर अपील पेश की थी जिसे अंदर मयाद सुमार करने बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार बिलाडा ने मौका रिपोर्ट मंगवाकर तथा कब्जें की जांच करवाकर जांच रिपोर्ट के आधार पर तरमीम बाबत आदेश पारित किया था जिसके बारे मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार के विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना तथा अपील मे सभी खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय के बारे मे अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ता ने सूचना समय पर नही दिये जाने से उक्त अपील प्रस्तुत करने मे देरी हुई होने से अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट की अपील को अंदर मयाद सुमार कर उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–1–2013 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को रिमाण्ड ही किया है, जहां पर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद तरमीम संबंधी कार्यवाही सम्पन्न करने के निर्देश दिये गये है इसलिए अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–1–2013 आदि का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे तहसीलदार बिलाडा द्वारा सम्पन्न तरमीम कार्यवाही मे रही कमियो का उल्लेख करते हुए तहसीलदार बिलाडा द्वारा पारित तरमीम आदेश दिनांक 10–6–2008 को विधिसम्मत नही मानते हुए निरस्त किया है तथा प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को निर्णय मे दिये गये विवेचन के मध्यनजर पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सम्पूर्ण खसरा नंबर 120 के सभी खातेदारो की हिस्सानुसार नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया है, जो विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही होगा ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–1–2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।